

tion, is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha.

राज-भाषा सेवा संवर्ग (काडर) का बनाया जाना

7664. श्री भीखा भाई :

क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार, राज-भाषा सेवा संवर्ग के गठन पर किस तारीख से कार्य कर रही है ;

(ख) सम्पूर्ण संवर्ग के बनाये जाने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार एक ऐसे संवर्ग को गठित करने का है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों / विभागों और कार्यालयों में बहुत लम्बे समय से हिन्दी पदों पर कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे ;

(घ) क्या सरकार इन अधिकारियों/कर्मचारियों को तदर्थ आधार पर नियुक्त करने और नियमित नियुक्तियां करने की बजाए जब तक ऐसे पदों के लिए एक संवर्ग नहीं बन जाता तब तक समय समय पर उनकी सेवार्यें बढ़ाये जाने के लिए सिफारिश करती आ रही है ;

(ङ) क्या इन पदों पर नियमित नियुक्ति करने की अपेक्षा तदर्थ आधार पर नियुक्तियां करने के लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार है; और

(च) यदि हां, तो ऐसी पद्धति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) . केन्द्रीय सचिवालय राज-भाषा सेवा की मोटी रूप रेखा सर्व प्रथम 15-11-1975 की परिचालित की गई

थी। सेवा के समूह "ग" में शामिल किए जाने वाले पदों के लिए नियम भारत के राजपत्र में 19-9-81 को प्रकाशित कर दिए गए हैं। इन नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार सेवा के प्रारम्भिक गठन के सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है। सेवा के समूह "क" और समूह "ख" में शामिल किए जाने वाले पदों के नियमों को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है ;

(ग) केन्द्रीय सचिवालय राज-भाषा सेवा (समूह "ग" पद) नियम, 1981 के नियम 2 (ग) (1) के अनुसार ऐसे सभी अनुवादकों को सेवा में शामिल करने पर विचार किया जाएगा जो सेवा में सम्मिलित पदों पर 19-9-81 को कार्यरत थे या ऐसे किसी पद पर धारणा-धिकार रखते थे। सेवा के समूह "क" और "ख" के पदों के लिए बनाए जा रहे नियमों में भी ऐसा ही प्रावधान प्रस्तावित है।

(घ) से (च) : केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह "ग" पद) नियम, 1981 जारी होने से पहले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी से सम्बन्धित पदों को इन पदों के भर्ती नियमों के अनुसार नियमित आधार पर भरा जा सकता था। जिन पदों के लिए भर्ती नियम उपलब्ध नहीं थे केवल व पद ही तदर्थ आधार पर भरे जा सकते थे। जो व्यक्ति उक्त सेवा में शामिल किए जाने वाले पदों पर प्रति-नियुक्ति तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं और जिनकी सेवार्यें संतोषजनक पाई गई हैं उन्हें आवश्यकतानुसार संघ लोक सेवा आयोग को सहमति से सेवा के गठन तक अपने पदों पर बने रहने देने के लिए अनुरोध जारी किए गए हैं।

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह "म" पद) नियम, 1981 के जारी होने के पश्चात् हिन्दी अनुवादकों के पदों पर नियमित भर्ती राजभाषा विभाग द्वारा की जाती, अपेक्षित है, लेकिन नियमित आधार पर भर्ती करने तक विभिन्न मंत्रालयों / विभागों को इन सब को फिलहाल तदर्थ आधार पर भरने की अनुमति दी जाती है। क्योंकि उच्चतर हिन्दी पदों पर नियमित नियुक्तियां सीधी भर्ती के अतिरिक्त, वरिष्ठ अनुवादकों आदि में से सेवा के गठन के बाद संयुक्त वरीयता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जाएंगी ; इसलिए इन पदों को भी फिलहाल तदर्थ आधार पर भरने के अनुदेश जारी किए गये हैं।

Shifting of EPF Office in Delhi

7665. SHRI RAJESH KUMAR SINGH:
SHRI SURAJ BHAN:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the Provident Fund Office was shifted from Pusa Road to Nehru Place in February, 1980 by giving a sum of Rs. 36,000/- as cartage and brokerage;

(b) whether that Nehru Place is very far from the workers covered by Provident Fund Scheme in West, North, East and South Delhi, separately;

(c) whether that the rent at Pusa Road was only Rs. 22,000 whereas the rent at Nehru Place is Rs. 52,000/- per month which is more than double and the reasons for shifting it in fire damaged building at Nehru Place;

(d) whether in February, 1980, a huge building was available for the provident fund office at Rajendra Place near Pusa Road and the reasons for not taking this building on rent; and

(e) whether quotations were invited thrice in February, 1980 through press for the accommodation for housing the above office and the action taken thereon and the reasons for delay in shifting the office?

THE DEPUTY MINISTER IN THE
MINISTRY OF LABOUR (SHRI
DHARMAVIR): (a) Yes, Sir.

(b) It is correct that the present accommodation of the Regional Office, Delhi at Nehru Place is at a distance from some parts of Delhi, but it is well connected by buses.

(c) The actual increase in rent was, from Rs. 23,846/- to Rs. 52,325/-. The increase in rent was partly due to hiring of additional accommodation and partly due to shifting of the office from residential areas to commercial areas.

(d) In September, 1979, an offer was received for accommodation at Rajendra Place at Rs. 4.75 per square feet. This, however, could not be availed of, as accommodation at a lower rate of rent was available at the Nehru Place.

(e) Yes. A proposal for obtaining additional accommodation to meet the shortage of space at Nehru Place, is under examination of the Government.

केंद्रीय कोयला खान रक्षा : स्टेशन
समिति, धनवाड में स्टाफ कार का दुरुपयोग

7666. श्री हरिकेश दहावुर : क्या
श्रम मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर
दिलाया गया है कि गत पांच वर्षों 1977-
78 से 1981-82 तक के दौरान केन्द्रीय
कोयला खान रक्षा स्टेशन समिति, धनवाड
के अधिकारियों ने एम्बेसेडर स्टाफ कार का
अपने निजी कार्यों के लिए बड़ा दुरुपयोग
किया है ;

(ख) क्या स्टाफ कार के दुरुपयोग
का छिपाने के लिए चालकों की सहायता
से यात्रा के समय और यात्रा के प्रयोजन
के सम्बन्ध ; झूठी प्रविष्टियां की गई हैं
और क्या चालकों की खुश करने के लिए